राजस्थान बजट

2024-25

संजीव वेबसाइट से नि:शुल्क डाउनलोड करें
राजस्थान, राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय समसामयिकी (प्रत्येक माह)
साथ ही संजीव वेबसाइट से आप E-Book भी खरीद सकते हैं।
visit us at : www.sanjivprakashan.com

राजस्थान बजट 2024-25

योजनाओं के परिवर्तित उद्व्यय 2024-25 के मुख्य बिन्दु

परिवर्तित आय-व्ययक अनुमान 2024-25 में योजना उद्व्यय अन्तर्गत ₹ 2,09,633.99 करोड़ प्रस्तावित हैं। योजनाओं के उद्व्ययों का मुख्य क्षेत्रवार विवरण निम्नानुसार हैं—

क्र. स.	क्षेत्र	प्रस्तावित परिव्यय (राशि ₹ करोड़ में)	कुल से प्रतिशत
1.	कृषि एवं सम्बद्ध सेवाएँ	12239.00	5.84
2.	ग्रामीण विकास	20233.86	9.65
3.	विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	309.88	0.15
4.	सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	7419.29	3.54
5.	विद्युत	29631.34	14.14
6.	उद्योग एवं खनिज	2199.79	1.05
7.	परिवहन	13367.28	6.38
8.	वैज्ञानिक सेवाएँ	30.79	0.01
9.	सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाएँ	114857.49	54.79
10.	आर्थिक सेवाएँ	4641.75	2.21
11.	सामान्य सेवाएँ	4703.53	2.24
	योग	**209633.99**	**100.00**

परिवर्तित बजट वर्ष 2024-25 के प्रमुख बिन्दु

राजकोषीय संकेतक

- **वर्ष 2024-25 के बजट अनुमानों में राजस्व प्राप्तियाँ**—2 लाख 64 हजार 461 करोड़ 29 लाख रुपये।
- **वर्ष 2024-25 के बजट अनुमानों में राजस्व व्यय**—2 लाख 90 हजार 219 करोड़ 40 लाख रुपये।
- **वर्ष 2024-25 के बजट अनुमानों में राजस्व घाटा**—25 हजार 758 करोड़ 11 लाख रुपये अनुमानित है जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 1.45 प्रतिशत है।
- **वर्ष 2024-25 के बजट अनुमानों में पूँजीगत प्राप्तियाँ**—2 लाख 31 हजार 148 करोड़ 5 लाख रुपये।
- **वर्ष 2024-25 के बजट अनुमानों में पूँजीगत व्यय**—2 लाख 5 हजार 247 करोड़ 70 लाख रुपये।
- **वर्ष 2024-25 का राजकोषीय घाटा**—70 हजार 9 करोड़ 47 लाख जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) का 3.93 प्रतिशत है।
- वर्ष 2024-25 में राज्य का कुल ऋण एवं अन्य दायित्व सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 35.97 प्रतिशत रहना अनुमानित है जो FRBM द्वारा निर्धारित सीमा 38.20 प्रतिशत से कम है।

पेयजल

- जल जीवन मिशन-इस वित्तीय वर्ष में 15 हजार करोड़ रुपये व्यय कर 25 लाख ग्रामीण घरों में नल से जल पहुँचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
- नगरीय एवं औद्योगिक क्षेत्रों में सामान्य अपशिष्ट उपचार संयंत्र (CETPs) एवं सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STPs) का निर्माण एवं संचालन किया जाना प्रस्तावित है।

ऊर्जा

- वर्ष 2031-32 तक परम्परागत स्रोतों से 20 हजार 500 मेगावाट क्षमता तथा अक्षय ऊर्जा के स्रोतों से 33 हजार 600 मेगावाट क्षमता का उत्पादन लक्षित है।
- पूगल, छत्तरगढ़-बीकानेर एवं बोडाना-जैसलमेर में सोलर पार्क विकसित किए जाने प्रस्तावित हैं।
- पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत प्रत्येक जिले में 'आदर्श सौर ग्राम' बनाए जाने प्रस्तावित हैं।
- **विभिन्न क्षमता के जीएसएस की स्थापना**—केंचिया, श्रीगंगानगर में 400 केवी का एक, 220 केवी के तेरह जीएसएस जावली (कठूमर)-अलवर; बजाखरा (सागवाड़िया)-बांसवाड़ा; बयाना-भरतपुर; नौखड़ा (कोलायत)-बीकानेर; बेंगू-चित्तौड़गढ़; भांवता (बांदीकुई), उदयपुरा (सिकराय)-दौसा; सागवाड़ा-डूँगरपुर; जैतारण-ब्यावर; छोटी सादड़ी-प्रतापगढ़; देवगढ़-राजसमंद एवं सलूम्बर; 220 केवी जीएसएस में क्रमोन्नयन-सुमेरपुर-पाली, 132 केवी के छत्तीस तथा 33/11 केवी के सत्ताईस जीएसएस स्थापित किए जाएँगे।

सड़क

- 5 वर्षों में 53 हजार किलोमीटर लम्बाई का सड़क नेटवर्क स्थापित किया जाएगा।
- 2 हजार 750 किलोमीटर से अधिक लम्बाई के 9 Green Field Expressways बनाए जाने प्रस्तावित हैं।
- ये Expressways हैं-जयपुर-किशनगढ़-अजमेर-जोधपुर (350 किमी.); कोटपूतली-किशनगढ़ (181 किमी.); जयपुर-भीलवाड़ा (193 किमी.); बीकानेर-कोटपूतली (295 किमी.); ब्यावर-भरतपुर (342 किमी.); जालोर-झालावाड़ (402 किमी.); अजमेर-बाँसवाड़ा (358 किमी.); जयपुर-फलौदी (345 किमी.) एवं श्रीगंगानगर-कोटपूतली (290 किमी.)।

क्षेत्रीय विकास एवं नागरिक सुविधायें

- डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी जिला उत्थान योजना प्रारंभ करने की घोषणा की गयी जिसके लिए 500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया।

- 150 करोड़ रुपये की लागत से चयनित शहरी निकायों में Wi-Fi enabled Library and Co-working Stations की स्थापना की जाएगी।
- नगरीय क्षेत्रों के बाजारों व सार्वजनिक स्थलों पर महिलाओं के लिए Bio/Pink toilet Complex स्थापित किए जाएंगे।
- 2 वर्षों में 500 बसें क्रय एवं 800 बसें Service Model पर ली जाएंगी जिनमें 300 इलेक्ट्रिक बसें शामिल हैं।
- पूर्वी राजस्थान के दूरस्थ क्षेत्रों के विकास के लिए बृज क्षेत्रीय विकास योजना प्रारंभ की जाएगी।
- डांग, मगरा, मेवात एवं बृज क्षेत्रीय विकास योजनाओं हेतु इस वर्ष 50-50 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए जाएंगे।

औद्योगिक विकास

- Ease of Doing Business (EoDB) एवं Sustainability आधारित Industrial Policy-2024 लायी जाएगी। इस नीति के माध्यम से थीम आधारित औद्योगिक पार्कों की स्थापना, व्यवधान मुक्त वस्तु परिवहन उपलब्ध कराने के साथ ही 'अनुसंधान एवं विकास' तथा 'ग्रीन टेक्नोलॉजी' को बढ़ावा दिया जाएगा।
- प्रदेश से निर्यात बढ़ाने के लिए Export Promotion Policy लायी जाएगी।
- Garment and Apparel Policy, Rajasthan Warehousing and Logistics Policy भी लायी जानी प्रस्तावित है।
- बालोतरा में Rajasthan Petro Zone (RPZ) की स्थापना की जाएगी।
- जयपुर में 200 करोड़ रुपये की लागत से 'अमृत Global Technology and Application Centre' की स्थापना की जाएगी।
- भीलवाड़ा में Textile Park; बीकानेर में Ceramic Park; बांदीकुई-दौसा के पास Industrial and Logistical Hub; कांकाणी/रोहट-पाली में Solar Panel Manufacturing Park; बाँसवाड़ा में Biomass Pellet एवं Chemical Manufacturing Park; किशनगढ़-अजमेर में Tiles Manufacturing Park तथा जोधपुर में Handicraft Park, थोलाई (जमवारामगढ़)-जयपुर में स्थापित Integrated Resource Recovery park की तर्ज पर दो और Waste Recycling parks की स्थापना की जाएगी।
- ब्यावर, कोटा, जालोर, राजसमंद व सिकन्दरा-दौसा में Stone मंडियों की स्थापना की जाएगी।
- Rajasthan-One District, One Product Policy 2024 लायी जानी प्रस्तावित है।
- जयपुर में PM-Unity Mall की स्थापना की जाएगी जहाँ 'एक जिला-एक उत्पाद' योजना के तहत पहचान प्राप्त उत्पादों को प्रदर्शित किया जाएगा।
- माटी कला Centre of Excellence की स्थापना की जानी प्रस्तावित है।

पर्यटन, कला एवं संस्कृति

- पर्यटन गतिविधियों के विकास के लिए नवीन पर्यटन नीति लायी जाएगी एवं राजस्थान पर्यटन विकास बोर्ड का गठन किया जाएगा।
- Rajasthan Tourism Infrastructure and Capacity Building Fund (RTICF) बनाया जाएगा।
- Rajasthan Heritage Conservation and Development Authority का गठन किया जाएगा।
- खाभा फोर्ट परिसर जैसलमेर में Fossil Park एवं Open Rocks Museum बनाए जाएँगे।
- MICE (Meetings, Incentives, Conferences, Exhibitions) Tourism हेतु जयपुर में **राजस्थान मण्डपम्** का निर्माण किया जाएगा।
- सांभर झील, खींचन Conservation Reserve, शेरगढ़ अभयारण्य, मनसा माता Conservation Reserve एवं बस्सी अभयारण्य को Eco-Tourism Sites के रूप में विकसित किया जाएगा।
- जोगी महल-सवाईमाधोपुर, आमेर-जयगढ़-नाहरगढ़ किला-जयपुर, बीजासन माता (इंदरगढ़)-बूँदी, समईमाता-बाँसवाड़ा तथा छतरंग मोरी-चित्तौड़गढ़ में रोपवे का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है।
- डूँगरपुर में डूँगरबरंडा व बाँसवाड़ा में बांसिया चारपोटा नामक जनजातीय नायकों के स्मारक एवं उदयपुर में वीर बालिका कालीबाई संग्रहालय का निर्माण किया जाएगा।
- डूँगरपुर में शिल्पग्राम की स्थापना की जाएगी।
- जयपुर अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की terminal capacity 50 लाख से बढ़ाकर 70 लाख यात्री प्रतिवर्ष की जाएगी एवं जयपुर में नये State Terminal का निर्माण किया जाएगा।
- किशनगढ़-अजमेर तथा हमीरगढ़-भीलवाड़ा में फ्लाइंग प्रशिक्षण शुरू किया जाएगा।

वन एवं पर्यावरण

- आगामी वर्ष से राज्य का 'Green Budget' भी प्रस्तुत किया जाएगा।
- वृक्षारोपण महाभियान के माध्यम से 7 करोड़ पौधे लगाने व पालने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
- Mission 'हरियाळो-राजस्थान' के अन्तर्गत 5 वर्षों में लगभग 4 हजार करोड़ रुपये की राशि से निम्न कार्य किए जाने प्रस्तावित हैं-
  - प्रत्येक जिले में 'मातृ वन' की स्थापना
  - एक जिला-एक प्रजाति कार्यक्रम
  - 2 हजार 'वन मित्र'
  - महात्मा गाँधी नरेगा के अन्तर्गत पर्यावरण संरक्षण चरागाह विकास तथा वृक्षारोपण के कार्य।
  - Block स्तर तक वन उपज एवं सम्बन्धित उत्पादों के विक्रय के लिए Marketing Hubs स्थापित किए जाएंगे।

- ♦ झालाना-जयपुर में Forest and Wildlife Training cum Management Institute की स्थापना की जाएगी।
- ♦ Forest Carbon credits Certification Mechanism स्थापित किया जाएगा।

- केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान (घना)-भरतपुर के निकट Zoological Park (Zoo) एवं Aquarium की स्थापना की जाएगी।
- नाहरगढ़ जैविक उद्यान-जयपुर में Walk in Aviary विकसित की जाएगी।
- गोडावण संरक्षण हेतु राष्ट्रीय मरु उद्यान-जैसलमेर में गजाई माता, चौहानी, सुदासरी एवं रामदेवरा में नए enclosure की स्थापना के साथ ही Predator Proof Fencing की जाएगी।
- अलवर में Biological Park की स्थापना की जाएगी।
- वायु गुणवत्ता के परीक्षण के लिए जयपुर की तर्ज पर अलवर एवं भिवाड़ी में Early Warning Systems विकसित किए जाएंगे।

युवा विकास एवं कल्याण

- 'युवा नीति-2024' लायी जाएगी।
- Apprenticeship/internship programmes संचालित किए जाएंगे एवं Artificial Intelligence आधारित counselling सुविधा उपलब्ध करायी जाएगी।
- 'Atal Entrepreneurship Programme' संचालित किया जाएगा।
- चयनित startups को 'Atal Entrepreneurship Programme' में i-Start Fund के तहत 10 करोड़ रुपये तक की funding सुविधा उपलब्ध करायी जाएगी।
- Startups को equity funding के द्वारा financial support देने के लिए 100 करोड़ रुपये से Fund of Funds बनाया जाएगा।
- जयपुर, भरतपुर, बीकानेर और उदयपुर में Atal Innovation studios और Accelcrators स्थापित किए जा रहे हैं। इसके अन्तर्गत Agriculture Accelerator Mission प्रारंभ करना भी प्रस्तावित है।
- AVGC-XR Policy (Animation, Visual Effects, Gaming, Comics-Extended Reality Policy) लायी जाएगी।
- Startup founders को Skilled Manpower उपलब्ध करवाने के लिए i-start के अन्तर्गत Learn, Earn And Progress (LEAP) Programme प्रारंभ किया जाएगा।
- भरतपुर, बीकानेर व अजमेर में Rajasthan Institute of Technology (RIT) की स्थापना की जाएगी।
- विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को 'कुलगुरु' की पदवी प्रदान किया जाना प्रस्तावित है।
- 12 नये महाविद्यालय, 8 कन्या महाविद्यालय, 3 कृषि महाविद्यालयों की स्थापना एवं 10 महाविद्यालयों का UG से PG में क्रमोन्नयन किया जाएगा।
- **नवीन स्थापित महाविद्यालय निम्नवत् हैं—**

  महाविद्यालय–सरवाड़—अजमेर; गुलाबपुरा-भीलवाड़ा; राशमी (कपासन), डूंगला (बड़ी सादड़ी)-चित्तौड़गढ़; मौजमाबाद-दूदू; विद्याधर नगर-जयपुर; चामू (शेरगढ़)-जोधपुर; डग-झालावाड़; दीगोद (सांगोद), चेचट (रामगंजमण्डी)-कोटा; अरनोद-प्रतापगढ़ एवं रींगस-सीकर

  कन्या महाविद्यालय–कठूमर-अलवर; जहाजपुर-शाहपुरा; सिकराय-दौसा; फुलेरा-जयपुर; बिलाड़ा, ओसियां-जोधपुर; फलौदी एवं फलासिया-उदयपुर

  कृषि महाविद्यालय–चूरू; कुम्हेर-डीग एवं जमवारामगढ़-जयपुर में कृषि महाविद्यालय।
- Migratory (प्रव्राजी) पशुपालकों हेतु पिण्डवाड़ा-सिरोही में आवासीय विद्यालय का निर्माण किया जाएगा।
- सुमेरपुर-पाली में घुमन्तू जातियों के लिए आवासीय विद्यालय का निर्माण किया जाएगा।
- बालिका गृहों में आवासित देखरेख एवं संरक्षण आवश्यकता वाली बालिकाओं हेतु जयपुर में राजकीय आवासीय विद्यालय स्थापित किया जाएगा।
- बाली-पाली, कोटपूतली, पसोपा (नगर)-डीग में देवनारायण आवासीय विद्यालय तथा देवला (कोटड़ा)-उदयपुर व जसवंतपुरा-जालौर में एकलव्य आवासीय विद्यालय स्थापित किए जाएंगे।
- शेरगढ़-जोधपुर में अनुसूचित जनजाति छात्रवास; सिकराय-दौसा में अनुसूचित जाति बालिका छात्रावास; डग-झालावाड़ में अनुसूचित जाति छात्रावास; कठूमर-अलवर व तिजारा में देवनारायण बालिका छात्रावास; भटेश्वर (पिण्डवाड़ा)-सिरोही, पोषाणा-जालौर में जनजाति बालिका छात्रावास तथा मेर-मण्डवाड़ा-सिरोही में जनजाति छात्रावास।
- 8वीं, 10वीं एवं 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं में राज्य तथा जिला स्तरीय मेरिट में आने वाले 33 हजार विद्यार्थियों को तीन वर्ष की इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ निःशुल्क टेबलेट प्रदान किए जाएंगे।
- महाराजा आचार्य संस्कृत महाविद्यालय, जयपुर में वास्तु एवं ज्योतिष का Centre of Excellence शुरू किया जाएगा।
- Sports-Infrastructure, Science, Analysis, Counselling व Nutrition का समावेश करते हुए 'खेल नीति-2024' लायी जाएगी।
- कोच एवं खेल विशेषज्ञ तैयार करने के उद्देश्य से Maharana Pratap Sports University स्थापित की जाएगी।
- 'One District-One Sport' Scheme लागू करते हुए प्रत्येक जिले में चरणबद्ध रूप से प्रचलित खेलों की अकादमी स्थापित की जाएगी।
- प्रदेश के खिलाड़ियों के लिए Sports Life Insurance Scheme लागू किया जाना प्रस्तावित है जिसके अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रीय पदक विजेताओं को 25 लाख रुपये तक का दुर्घटना व जीवन बीमा कवरेज दिया जाएगा।

- उत्कृष्ट खिलाड़ियों को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की ट्रेनिंग एवं अभ्यास सुविधाएँ उपलब्ध कराने के लिए सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में State of the Art Ultra Fitness Centre स्थापित किया जाएगा।
- प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर स्टेडियम, ट्रैक, खेल अकादमी आदि की स्थापना का कार्य किया जायेगा। ये हैं—

  सिंथेटिक ट्रैक—सांगानेर-जयपुर में सिंथेटिक ट्रैक का निर्माण

  खेल स्टेडियम—मसूदा-ब्यावर, बनेड़ा-शाहपुरा, गजसिंहपुर (करणपुर)-श्रीगंगानगर, डेगाना-नागौर, भादरा-हनुमानगढ़, चाकसू, बगरू, जयसिंहपुरा खोर-जयपुर में खेल स्टेडियम का निर्माण।

  खेल अकादमी—शाहपुरा में खेल अकादमी।
- राष्ट्रीय युवा पुरस्कार की भांति Rajasthan Youth Icon Award प्रदान किया जाएगा।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य

- मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना (MAA) में शिशुओं एवं छोटे बच्चों के इलाज के लिए नये Paediatric Packages जोड़े जाएंगे।
- निजी चिकित्सा संस्थानों के Empanelment Norms में शिथिलन (relaxation) किया जाएगा।
- गर्भवती महिलाओं को प्रसव पूर्व जाँच के लिए सम्पूर्ण प्रदेश में 'मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य (MAA) Voucher योजना' लागू की जाएगी।
- मेडिकल कॉलेज, बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर, भरतपुर एवं कोटा में Spinal Injury Centres की स्थापना की जाएगी।
- Rare disease के निदान व उपचार के लिए जे के लोन अस्पताल-जयपुर में Centre of Excellence for Medical Genetics की स्थापना की जाएगी।
- अजमेर में आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा विश्वविद्यालय एवं महवा-दौसा में आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना की जाएगी।
- Rajasthan Digital Health Mission के अन्तर्गत PHC स्तर पर स्वास्थ्य परीक्षण कर e-Health Record बनाया जाना प्रस्तावित है।

सड़क सुरक्षा

- RUHS—जयपुर, कोलाना (बांदीकुई)-दौसा, साण्डेराव, देसूरी-पाली व प्रतापगढ़ सहित 6 नये Trauma Centres स्थापित किए जाएंगे।
- सड़क दुर्घटना में घायलों को अस्पताल पहुँचाकर जीवन रक्षा करने वाले Good Samaritans को देय प्रोत्साहन राशि 5 हजार से बढ़ाकर 10 हजार रुपये की जाएगी।

सामाजिक सुरक्षा

- SCSP एवं TSP Funds की राशि बढ़ाकर एक हजार 500 करोड़ रुपये की जाएगी।
- बाबा साहेब अम्बेडकर आदर्श ग्राम विकास योजना प्रारंभ की जाएगी जिसके अन्तर्गत 10 हजार से अधिक जनसंख्या वाले गांवों में वंचित वर्ग की आबादी की आधारभूत संरचनाओं के लिए 200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
- प्रदेश में अनुसूचित क्षेत्र (TSP) में निवासरत जनजाति के परिवारों के समग्र विकास के लिए गोविन्द गुरु जनजातीय क्षेत्रीय विकास योजना शुरू की जाएगी। इसके अन्तर्गत आदिवासियों के जल-जंगल-जमीन से जुड़ाव को दृष्टिगत रखते हुए वन क्षेत्र में सामुदायिक पट्टे (Community Forest Rights) दिए जाकर Community Centre, आंगनबाड़ी, Agro Forestry, चरागाह विकास तथा अन्य सामुदायिक कार्य करवाये जायेंगे।
- शहरी क्षेत्रों एवं कस्बों में Street Vendors के साथ ही अन्य जरूरतमंद एवं असहाय परिवारों के लिए मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना शुरू की जाएगी।
- स्थायी आश्रय और आवास से वंचित denotified tribes के परिवारों हेतु मुख्यमंत्री घुमन्तू आवासीय योजना लागू किया जाना प्रस्तावित है।
- अनुसूचित जाति/जनजाति विकास निगम, अन्य पिछड़ी जाति विकास निगम एवं अल्पसंख्यक विकास निगम के माध्यम से SC, ST, OBC, सफाई कर्मचारी, अल्पसंख्यक समुदाय एवं दिव्यांगजन के जरूरतमंद परिवारों को रियायती दर पर ऋण उपलब्ध करवाने के लिए सरकार द्वारा इन निगमों को 100 करोड़ रुपये की सहायता उपलब्ध करवायी जानी प्रस्तावित है।
- साथ ही, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के व्यक्तियों को भी रियायती ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध करवाने हेतु 25 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है।
- आंगनबाड़ी केन्द्रों पर आने वाले लगभग 36 लाख (छत्तीस लाख) बच्चों को उचित पौष्टिक आहार उपलब्ध कराने हेतु सप्ताह में 3 दिन दूध उपलब्ध करवाया जाएगा।
- जनजाति समुदाय के बच्चों हेतु 250 नवीन माँ-बाड़ी केन्द्रों की स्थापना की जाएगी।
- 'लखपति दीदी योजना' के अन्तर्गत इस वर्ष के लिए निर्धारित लक्ष्य को 5 लाख से बढ़ाकर 15 लाख किया गया है।
- Self Help Groups (SHGs) की महिलाओं को राजस्थान महिला निधि क्रेडिट कॉपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड के माध्यम से विभिन्न योजनाओं में 300 करोड़ रुपये का ऋण रियायती दर (2.5 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर) पर उपलब्ध करवाया जाएगा।
- Rare Disease से ग्रसित व्यक्तियों के लिए राहत पैकेज के अन्तर्गत-प्रदेश में 50 करोड़ रुपये की राशि से Rare Disease Fund बनाया जाएगा।
- Muscular Dystrophy से ग्रसित रोगी के साथ Attendant (सहयोगी) को रोडवेज बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा प्रदान की जाएगी।

- जामडोली-जयपुर में स्वयंसिद्धा 'Centre of Excellence' स्थापित किया जाएगा।
- संभाग स्तर पर 'स्वयंसिद्धा आश्रम' स्थापित किए जाएंगे।
- स्वतंत्रता सेनानियों को वर्तमान में देय सम्मान पेंशन राशि 50 हजार रुपये से बढ़ाकर 60 हजार रुपये प्रतिमाह की जाएगी। द्वितीय विश्व युद्ध के शहीदों की पेंशन राशि 10 हजार रुपये से बढ़ाकर 15 हजार रुपये प्रतिमाह की जाएगी।

सुशासन

- भरतपुर में Integrated Office Complex cum Service Centre के रूप में कर्मशिला भवन का निर्माण किया जाएगा।
- **राजस्व इकाइयों का गठन/क्रमोन्नयन एवं निर्माण–**
  - (i) श्रीगंगानगर में **मिनी सचिवालय**
  - (ii) राहूवास (लालसोट)-दौसा एवं विवेक विहार-जोधपुर में **उपखंड** कार्यालय।
  - (iii) बगरू-जयपुर, नाचना (पोकरण), झिनझिनयाली-जैसलमेर, डिग्गी (मालपुरा)-टोंक, गिलुण्ड-राजसमंद एवं नाई (बारापाल)-उदयपुर उपतहसीलों का तहसीलों में क्रमोन्नयन किया जाएगा।
  - (iv) नाथडाऊ (शेरगढ़)-जोधपुर को तहसील;
  - (v) बेढ़म (नगर)-डीग को **उप तहसील** बनाया जाएगा।
- **नगरीय इकाइयों का गठन व क्रमोन्नयन–**
  - (i) लाम्बाहरिसिंह, डिग्गी (मालपुरा), पीपलू-टोंक, मसूदा-ब्यावर, चौहटन, गुड़ामालानी-**बाड़मेर** लूणकरणसर, नापासर-**बीकानेर**, सोजत रोड-**पाली**, नारायणपुर (बानसूर), मांढण-**कोटपूतली-बहरोड़**, जमवारामगढ़-**जयपुर**, सायला-**जालोर**, कुड़ी भक्तासनी-**जोधपुर**, बिजोलिया-**भीलवाड़ा**, डूण्डलोद व जाखल (नवलगढ़), सुल्ताना-**झुंझुनूँ**, मेड़ता रोड-**नागौर** एवं धोद-**सीकर** को नगर पालिका।
  - (ii) लोसल-सीकर, तारानगर-चूरू, महवा व बांदीकुई-दौसा नगर पालिका का उच्च श्रेणी में क्रमोन्नयन।
  - (iii) पुष्कर-अजमेर, लालसोट-दौसा व शाहपुरा-जयुपर की नगर पालिका का नगर परिषद् में क्रमोन्नयन।
  - (iv) पाली व भीलवाड़ा **नगर परिषद** का नगर निगम में क्रमोन्नयन किया जायेगा।
- Data Profiles को secured व consent based mechanism से Multi Stake Holder Environment में share करने के लिए देश का प्रथम Data Exchange–Raj D.Ex. (राजडैक्स) बनाया जाएगा।
- राजस्थान सशस्त्र बल के अन्तर्गत पद्मिनी, कालीबाई व अमृतादेवी महिला पुलिस बटालियनों की स्थापना की जाएगी।
- प्रदेश में महिलाओं व बच्चियों से होने वाली छेड़छाड़/अप्रिय घटना की रोकथाम हेतु निर्भया स्क्वाड का विस्तार करते हुए 500 कालिका Patrolling Units का गठन किया जाएगा।
- विभिन्न नए न्यायालयों की स्थापना की जाएगी, जो हैं–

क्र. सं.	न्यायालय
1.	अतिरिक्त जिला एवं सैशन न्यायालय– बड़ी सादड़ी-चित्तौड़गढ़ कैम्प कोर्ट के स्थान पर अतिरिक्त जिला एवं सैशन न्यायालय।
2.	वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय-पुष्कर-अजमेर, चिड़ावा-झुंझुनूँ
3.	विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट (भ्रष्टाचार निरोधक एक्ट) न्यायालय-राजसमंद, चित्तौड़गढ़, बारां व सीकर
4.	विशेष न्यायालय (पोक्सो एक्ट)-चूरू
5.	विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट (एनआई एक्ट) न्यायालय-झुंझुनूँ
6.	उपभोक्ता कैम्प कोर्ट-बांदीकुई-दौसा
7.	भू-प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी का कैम्प कोर्ट-वल्लभनगर-उदयपुर

कार्मिक कल्याण

- पेंशनर्स को देय Out Door चिकित्सा सुविधा व्यय की सीमा 30 हजार रुपये से बढ़ाकर 50 हजार रुपये प्रतिवर्ष की जाएगी।
- ग्रेच्युटी की वर्तमान अधिकतम सीमा को 20 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपये किया जाएगा।
- स्वतंत्र पत्रकारों के अधिस्वीकरण (accreditation) की आयु सीमा तथा अनुभव में छूट देते हुए न्यूनतम पात्रता आयु 45 (पैंतालीस) वर्ष तथा पत्रकारिता का अनुभव 15 वर्ष निर्धारित किया जाना प्रस्तावित है।
- उत्कृष्ट पत्रकारिता हेतु बिशनसिंह शेखावत पत्रकारिता पुरस्कार प्रारम्भ किए जाएंगे।
- अधिस्वीकृत पत्रकारों हेतु **निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा योजना**–RJHS (Rajasthan Journalist Health Scheme) लागू की जाएगी।

कृषि बजट

सिंचाई

- Rajasthan Irrigation Water Grid Mission प्रारंभ किया जाएगा।
- बाढ़ सुरक्षा प्रबंधन के साथ-साथ ऐसे जल के सदुपयोग की दृष्टि से Run off Water Grid स्थापित की जाएगी।
- ताजेवाला हैड (हथिनीकुण्ड बैराज) हरियाणा पर राजस्थान को आवंटित 577 MCM यमुना जल को भूमिगत पाइपलाइन के माध्यम से diversion के कार्य की DPR 60 करोड़ रुपये की लागत से तैयार की जाएगी।
- किसानों के कृषि कार्य के लिए 31 मार्च, 2024 तक लम्बित विद्युत कनेक्शन आवेदनों की pendency समाप्त करने की दिशा में इस वर्ष लगभग एक लाख 45 हजार विद्युत कनेक्शन जारी किए जाएंगे।

- कृषि कनेक्शनों के विद्युत भार को बढ़ाने हेतु **स्वैच्छिक भार वृद्धि योजना** (Voluntary Load Disclosure Scheme) लागू की जाएगी।

कृषि विकास

- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की तर्ज पर राजस्थान कृषि विकास योजना (Raj KVY) का प्रारंभ किया जाएगा।
- Rajasthan Agriculture & Horticulture Mission का प्रारंभ किया जाएगा।
- किसानों को प्रशिक्षित करने के लिए 10 Agro Climatic Zones में 2-2 clusters विकसित किए जाएंगे।
- जैविक एवं परम्परागत खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से Organic and conventional Farming Board का गठन किया जाएगा।
- गौवंश से जैविक खाद उत्पादन करने हेतु **गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना** प्रारंभ कर 10 हजार रुपये प्रति कृषक तक की सहायता प्रदान की जाएगी।
- किसानों को soil testing, फसलों के संबंध में जानकारी, कीटों/रोगों के उपचार के लिए विशेषज्ञ सेवाएँ उपलब्ध कराने हेतु जिला मुख्यालयों पर 2 वर्षों में Agri Clinics स्थापित किए जाएंगे।
- किसानों की क्षमता वृद्धि के लिए **Knowledge Enhancement Programme** प्रारम्भ किया जाना प्रस्तावित है। इसके अन्तर्गत- प्रथम चरण में 100 प्रगतिशील युवा कृषकों को Israel सहित अन्य देशों तथा साथ ही 5 हजार युवाओं को देश के विभिन्न राज्यों में प्रशिक्षण हेतु भेजा जायेगा।
- Agri-Stack के माध्यम से किसानों को स्वत: फसल गिरदावरी की सुविधा उपलब्ध करवायी जाएगी।

सहकारिता एवं कृषि विपणन

- 23 हजार करोड़ रुपये के ब्याज मुक्त अल्पकालीन फसली ऋण प्रदान किए जाएंगे
- दीर्घकालीन सहकारी अकृषि (Non-Farming) ऋणों पर 5 प्रतिशत का ब्याज अनुदान दिया जाएगा।
- प्रदेश में नवीन मण्डियों की स्थापना एवं विस्तार किये जाने की दृष्टि से विभिन्न कार्य करवाये जायेंगे। ये कार्य हैं-
  मण्डियाँ/पार्क-रामगढ़ पचवारा (लालसोट)-दौसा, नसीराबाद-अजमेर, पीपलू-टोंक में **कृषि मण्डी;** जमवारामगढ़-जयपुर में **फूल मण्डी;** जहाजपुर-शाहपुरा में नगर पालिका फल एवं सब्जी मण्डी; सादड़ी-पाली में फल-फूल मण्डी; साधुवाली (सादुलशहर)-श्रीगंगानगर में गाजर मण्डी; जैसलमेर में **जीरा मण्डी** तथा मनोहरथाना-झालावाड़ में लहसुन मण्डी, भुसावर-भरतपुर में Food Park एवं भरतपुर में Food Processing Park।
- **खेत से खरीद सुविधा-**e-Mandi Platform के माध्यम से सीधे कृषकों के खेत से खरीद की सुविधा प्रदान की जाएगी।
- **प्रसंस्करण इकाइयाँ** (processing Plants)—भुसावर-भरतपुर में Agro Processing Plant तथा सवाई माधोपुर में अमरूद, आंवला एवं मिर्च; मेड़ता सिटी में जीरा; सिरोही में ईसबगोल; जोधपुर व बारां में spices एवं बालोतरा में अनार के processing plants निजी क्षेत्र के सहयोग से स्थापित किए जाएंगे।

पशुपालन एवं डेयरी

- पशुपालन संवर्द्धन संरक्षण और विकास हेतु 250 करोड़ रुपये के प्रावधान के साथ **'मुख्यमंत्री पशुपालन विकास कोष'** का गठन किया जाएगा।
- दुधारू पशुओं के नस्ल विकास एवं आवारा नर गौवंश की समस्या के निराकरण के लिए Sex Sorted Semen योजना के तहत अनुदान राशि 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 75 प्रतिशत की जाएगी।
- **प्रदेश में विभिन्न पशु चिकित्सा संस्थानों की स्थापना/क्रमोन्नयन किया जाएगा-**
  नवीन पशु चिकित्सालय-विद्याधर नगर जयपुर, बेढ़म (नगर)-डीग एवं शिवदानपुरा-डीडवाना कुचामन।
  पशु चिकित्सालयों का प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालयों में क्रमोन्नयन-पशु चिकित्सालय नेतराड (चौहटन)-बाड़मेर व जाखल (नवलगढ़)-झुंझुनूं का प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालयों में क्रमोन्नयन।
- दुधारू पशुओं के साथ-साथ अन्य पशुओं को भी सम्मिलित करते हुए **मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना** प्रारम्भ की जाएगी। इसके अन्तर्गत प्रथमत: 5-5 लाख दुधारू गाय/भैंस, 5-5 लाख भेड़/बकरी तथा 1 लाख उष्ट्र वंश (ऊँट) का बीमा किया जाएगा।
- ऊँट संरक्षण और विकास मिशन शुरू किया जाएगा।
- नवजात ऊँट के पालन-पोषण के लिए ऊँटपालकों को दी जाने वाली सहायता राशि बढ़ाकर 20 हजार रुपये प्रतिवर्ष की जाएगी।
- सरदारशहर-चूरू, रानीवाड़ा-सांचौर, झालावाड़, भरतपुर, नागौर तथा बीकानेर में milk processing plants का upgradation व सुदृढ़ीकरण किया जाएगा।
- पाली में 30 मीट्रिक टन क्षमता का अत्याधुनिक milk powder plant स्थापित किया जाएगा।
- कोटा में Cattle Feed Plant स्थापित किया जाएगा।

कर-प्रस्ताव संबंधी बिंदु

पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग

- विविध विलेखों पर स्टाम्प ड्यूटी की प्रचलित श्रेणियों को कम करने के साथ ही दरों का Rationalization किया जाएगा।
- विद्युत कनेक्शन के लिए डिस्कॉम के साथ निष्पादित किये जाने वाले एग्रीमेन्ट, युवाओं द्वारा Apprenticeship संबंधी दस्तावेज, किसानों द्वारा अपनी फसल पर किए जाने वाले बन्धपत्र (Mortgage) पर स्टाम्प ड्यूटी में पूर्ण छूट दी जाएगी।

- पत्नी, पुत्रवधू, पोता/पोती एवं दोहिता/दोहिती के पक्ष में निष्पादित सेटलमेंट डीड पर भी स्टाम्प ड्यूटी एवं पंजीयन शुल्क पर पूर्ण छूट दी जाएगी।
- परिवार के सदस्यों के संयुक्त स्वामित्व के अधीन दो या अधिक गैर-कृषि सम्पत्तियों के Exchange करने पर Stamp Duty घटाकर 2 प्रतिशत की गयी।
- सैनिकों व अर्द्धसैनिक बलों के शहीदों की वीरांगनाओं या उनके पुत्र, पुत्री या माता-पिता को सरकार, निजी संस्था अथवा व्यक्ति विशेष के द्वारा निःशुल्क आवास दिये जाने पर स्टाम्प ड्यूटी के साथ ही पंजीयन शुल्क की भी पूर्ण छूट दी जाएगी।
- Transferable Development Rights (TDR) की प्रक्रिया को Automate करते हुए Stamp Duty की पूरी छूट तथा इसके विक्रय पर Stamp Duty घटाकर 2 प्रतिशत की गयी।
- आमजन को सुलभ Housing Loan के लिये Debt Assignment पर Stamp Duty की अधिकतम सीमा घटाकर 1 लाख रुपये तथा पंजीयन शुल्क की अधिकतम सीमा को भी 25 हजार रुपये किया गया।
- पूर्व के Agreement to Sale, Society Patta आदि पर स्थानीय निकाय द्वारा पट्टा जारी नहीं होने पर भी स्टाम्प ड्यूटी DLC के 20 प्रतिशत पर देय होगी।
- Stamps Act के अन्तर्गत Reference/Appeal के माध्यम से निर्धारित Stamp Duty के निर्णय के एक माह के अन्दर जमा कराने पर ब्याज माफ।
- रजिस्ट्री संबंधी कार्य को सुगमतापूर्वक एवं समय पर संपादित करने के उद्देश्य से मौका निरीक्षण हेतु सम्बन्धित पटवारी, गिरदावर, ग्राम विकास अधिकारी एवं नगर निकाय अधिकारी को भी मौका-निरीक्षक के रूप में अधिकृत किया गया।
- कम्पनियों के Amalgamation, Demerger आदि पर आवंटित शेयर्स पर स्टाम्प ड्यूटी 4 प्रतिशत से कम करते हुए 1 प्रतिशत तथा अधिकतम राशि भी 50 करोड़ रुपये से घटाकर 25 करोड़ रुपये की गयी।

वाणिज्यिक कर विभाग

- नई राजनिवेश नीति-2024 (RIPS-2024) लायी जायेगी जिसमें राज्य में विक्रय या प्रयुक्त होने वाली वस्तुओं एवं सेवाओं पर विशेष प्रोत्साहन दिया जायेगा।
- निवेशकों को RIPS योजना के अन्तर्गत-
  - ऊर्जा के अधिक उपयोग वाले उद्यमों में निश्चित समय-अवधि के लिये PNG की वैट दर में 5 प्रतिशत तक कमी की जाएगी।
  - Sick Unit को Revive करने की स्थिति पर भी Incentives का प्रावधान किया जाएगा।
  - प्रचलित RIPS के अन्तर्गत 14 अगस्त 2024 से Online Portal के माध्यम से लाभ देना प्रारम्भ किया जाएगा।
  - RIPS के अन्तर्गत स्टाम्प ड्यूटी से छूट हेतु जारी पात्रता प्रमाण-पत्र की अवधि की वैधता को 1 वर्ष के स्थान पर 2 वर्ष किया गया।
- CNG/PNG पर प्रचलित वैट दर को 14.5 प्रतिशत से कम कर 10 प्रतिशत किया गया।
- Aviation Turbine Fuel (ATF) पर लागू VAT दर को FTO तथा ATO के लिये 26 (छब्बीस) प्रतिशत से घटाकर 2 प्रतिशत किया गया।
- Captive Power प्रयोग करने वाले उपक्रमों के लिये Auxiliary Power पर Electricity Duty समाप्त तथा Auxiliary Power पर बकाया Electricity Duty का 10 प्रतिशत जमा कराने पर शेष मूल राशि तथा ब्याज/शास्ति माफ।

परिवहन विभाग

- इलेक्ट्रिक वाहन नीति के अन्तर्गत 200 करोड़ रुपये के e-Vehicle Promotion Fund का गठन किया जायेगा।
- वाहन के स्वामित्व हस्तान्तरण में वाहन को भौतिक रूप से प्रस्तुत किये जाने की अनिवार्यता समाप्त की गयी तथा वाहन को Scrap कराये जाने पर भी रजिस्ट्रेशन नम्बर Retention की सुविधा दी जायेगी।
- Private Service Vehicle, Tourist Vehicle and Contract Carriage Vehicle में एकबारीय कर (One Time Tax) की वर्तमान प्रचलित दरों में 10 प्रतिशत की कमी की गयी।

खान एवं पेट्रोलियम विभाग

- नवीन खनिज नीति-2024 लायी जायेगी।
- बलुआ पत्थर, चेजा पत्थर आदि खनिजों के 1 हेक्टेयर से छोटे क्षेत्रों की नीलामी में सिक्योरिटी राशि 10 लाख रुपये से घटाकर 2 लाख रुपये की गयी।
- बजरी सम्बन्धी समस्या के निदान के लिये Rajasthan State Mines & Minerals Limited (RSMML) के माध्यम से भी बजरी उत्पादन की कार्यवाही की जायेगी। नवीन M-sand Policy लायी जाएगी।
- खनिजों के क्षेत्र में Research and Development की दृष्टि से बीकानेर में Ceramics तथा उदयपुर में Rare Earth Elements के लिए Centers of Excellence की स्थापना की जाएगी।
- अप्रधान खनिजों के उत्पादन एवं निर्गमन में Volumetric Assessment पद्धति चरणबद्ध रूप से लागू की जाएगी। इस क्रम में एकमुश्त समाधान योजना लायी जाकर देय ब्याज व शास्ति की छूट दी जायेगी।

निवेश प्रोत्साहन हेतु अन्य बिन्दु

- **उद्योग विभाग-**
  - रीको एरिया से 1 किमी. की परिधि में भी Land Conversion के लिये रीको की अनापत्ति की आवश्यकता समाप्त। 'निजी औद्योगिक पार्क योजना' भी लायी जायेगी।
  - भू-संसाधन के समुचित एवं Optimum उपयोग को सुनिश्चित करने हेतु Land Aggregation and Monetization Policy

लायी जायेगी। इसे सशक्त करने के लिये Aggregation of Private Land Act लाया जायेगा।

- **राजस्व विभाग–**
  - रीको को हस्तान्तरित औद्योगिक क्षेत्रों के रूपान्तरण एवं अन्य समस्याओं के समाधान के लिये Transfer of Industrial Lands Validation Act लाया जायेगा।
  - निवेशकों को पर्यटन एवं एग्रो-प्रोसेसिंग जैसे प्रोजेक्ट्स के लिये आसानी से ऋण उपलब्ध हो पाने की दृष्टि से निःशुल्क ऑनलाईन Deemed Conversion Order उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाएगी।
- **स्वायत्त शासन विभाग–**

  15 मीटर की ऊँचाई तक के भवनों के Fire Safety Certificate हेतु निर्धारित एकमुश्त फीस 5 वर्ष के लिये 50 रुपये प्रति वर्गमीटर से घटाकर 15 रुपये प्रति वर्गमीटर की गयी।
- **कृषि विभाग–**
  - **Agro Processing** नीति-2024 लायी जाकर कृषि एवं Horticulture क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहन दिया जायेगा।
  - इस नीति के अन्तर्गत श्रीअन्न Promotion Agency की स्थापना की जाएगी तथा श्रीअन्न (Millets) हेतु विशेष प्रावधान किये जायेंगे।

एमनेस्टी

- उद्यमियों एवं आमजन को राहत देने के लिये एमनेस्टी योजनाओं के अन्तर्गत विभिन्न विभागों में 31 दिसम्बर, 2023 तक की शेष रही बकाया राशि पर 31 दिसम्बर, 2024 तक जमा कराने पर निम्नानुसार छूट—
  - **ऊर्जा एमनेस्टी–**कटे हुए कनेक्शन वाले विद्युत उपभोक्ताओं हेतु ब्याज/शास्ति की छूट।
  - **उपनिवेशन क्षेत्र संबंधी एमनेस्टी–**कृषि भूमि आवंटन की बकाया किश्तों पर ब्याज की छूट।
- नवीन एमनेस्टी योजनाएँ, जिसमें 31 दिसंबर, 2024 तक राशि जमा कराने पर निम्नानुसार छूट दी जायेगी—
  - **VAT Amnesty** (2017 के उपरान्त Repealed Acts के प्रकरणों हेतु)–
    (a) 10 लाख रुपये तक की मूल राशि की डिमाण्ड वाले प्रकरणों की समस्त बकाया माफ।
    (b) अन्य प्रकरणों में बकाया राशि का श्रेणीवार 10 से 20 प्रतिशत जमा करवाने पर शेष राशि माफ की जाएगी।
  - **खनन एमनेस्टी–**पूर्व के बकाया प्रकरणों में कुल बकाया राशि का श्रेणीवार मात्र 10 से 30 प्रतिशत जमा कराने पर शेष राशि माफ की जाएगी।
  - **परिवहन एमनेस्टी–**30 जून, 2024 तक के बकाया ई-रवन्ना प्रकरणों हेतु दी जा रही प्रशमन (Compounding) राशि की छूट को जारी रखते हुये प्रशमन की अधिकतम सीमा 1 लाख रुपये की जायेगी।
  - **स्टाम्प एमनेस्टी–**स्टाम्प ड्यूटी की माँग के प्रकरणों में ब्याज एवं Penalty की शत-प्रतिशत छूट।

संस्थागत उन्नयन

- पंजीयन एवं मुद्रांक-ई-पंजीयन 3.0 पोर्टल प्रारंभ कर नागरिकों, विभागीय अधिकारियों एवं अन्य सभी Stakeholders को Online Transaction करने की सुविधा दी जायेगी।
- **वाणिज्यिक कर–**विभागीय कार्य की विविधता एवं कार्यभारत में वृद्धि कर विभाग में विभागीय पुनर्गठन किया जायेगा। साथ ही Firms का पंजीकरण 'आधार'-आधारित Bio-Metric Authentication के माध्यम से किया जायेगा।
- **परिवहन–**परिवहन विभाग में Faceless Managment की व्यवस्था प्रारम्भ की जायगी एवं वाहनों के दस्तावेजों की जाँच e-Detection प्रणाली से की जायेगी।
- **आबकारी–**''एकीकृत आकारी प्रवर्तन व निरोधक बल'' का गठन किया जायेगा।
- **खान–**खनन संबंधी प्रक्रियाओं को Online करते हुये ब्लॉक्स का निर्धारण GIS प्रणाली पर करना, खनिज परिवहन हेतु RFID तथा GPS Tracking का प्रावधान लागू करना तथा उत्खनन की Qunantity व संबंधित Penalty का निर्धारण ड्रोन सर्वे के आधार पर किया जायेगा।

❑❑❑

संजीव®

49 वर्षों से आपका विश्वसनीय

आपकी सफलता में सदैव आपका सहयोगी

CET

परीक्षा में निश्चित सफलता हेतु उपलब्ध प्रमुख पुस्तकें

संजीव प्रकाशन की अन्य उपयोगी पुस्तकें

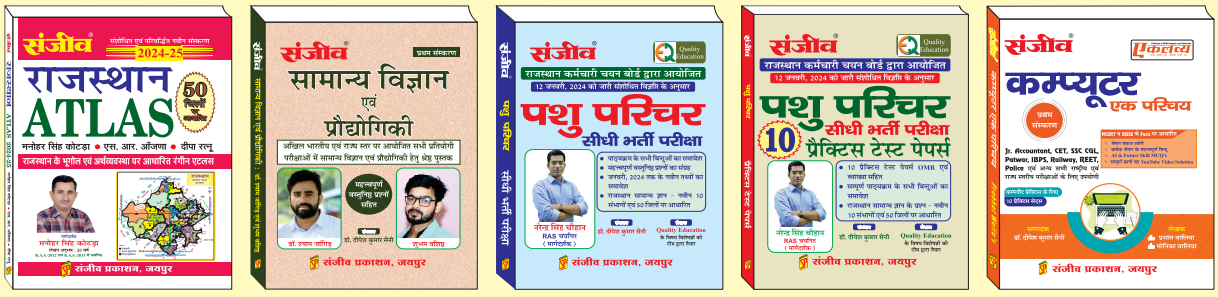

Join Our Telegram

संजीव Telegram चैनल एवं Website से परीक्षा उपयोगी पाठ्य सामग्री निःशुल्क प्राप्त करें। साथ ही संजीव वेबसाइट से आप Books एवं E-Books भी खरीद सकते हैं।

प्रकाशक–संजीव प्रकाशन, जयपुर

Visit us at : www.sanjivprakashan.com